तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/1047/2006/दौसा ज्ञाना बनाम किशनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री राकेश अरोडा, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री विकास पाराशर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 16.09.2020

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-01-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, लालसोट के न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कुर्कशुदा भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 08बीघा को बागुजास्त करने हेतु प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-09-2003 से स्वीकार कर विवादित आराजी का कब्जा जिस पक्षकार से प्राप्त किया था, उसे वापिस सम्भलाया जावे एवं रिसीवर से प्राप्त आय का भुगतान भी उसी पक्षकार को दिलवाये जाने के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 6-1-2006 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/1047/2006/दौसा ज्ञाना बनाम किशनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कुर्कशुदा भूमि का कब्जा दिलवाये जाने की प्रार्थना की क्योकि विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत मूल वाद दिनांक 10-01-1979 को ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका था तथा विवादित आराजी का कब्जा रिसीवर ने उनके पक्षकार से प्राप्त किया था। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विवादित आराजी का कब्जा सुपुर्द करने का विधिसम्मत् आदेश पारित किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद में अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 6 पक्षकार नहीं थे एवं इनका विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/1047/2006/दौसा ज्ञाना बनाम किशनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर दिनांक 24–09–2003 को जो आदेश पारित किया गया है, उसमें इन बाबत् कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि रिसीवर द्वारा किस पक्षकार से विवादित आराजी का कब्जा लिया। ना ही इस बाबत् कोई विवेचन किया गया कि पूर्व में विवादित आराजी पर कौनसा पक्षकार काबिज काश्त था। उनका कथनहै कि विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों की विवेचना किये बिना संक्षिप्त आदेश से विवादित आराजी का कब्जा देने का आदेश पारित किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश से निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, लालसोट के न्यायालय में प्रार्थी ज्ञाना पुत्र गेन्दा द्वारा मूल वाद बउनवानी नृसिंह लाल बनाम सोन्या में पारित आदेश दिनांक 10–01–1979 के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो जाने के काफी वर्षो उपरान्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कुर्कशुदा भूमि रिसीवर नायब तहसीलदार, लालसोट के कब्जे से बागुजास्त कर कब्जा उसे दिलवाये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष की बहस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/1047/2006/दौसा ज्ञाना बनाम किशनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुनकर निर्णय दिनांक 24–09–2003 से प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर विवादित आराजी का कब्जा जिस पक्षकार से प्राप्त किया, उसे वापिस सम्भलाया जाने एवं रिसीवर से प्राप्त आय का भुगतान भी उसी पक्षकार को दिलवाये जाने के आदेश पारित किये। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में केवल प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का विवेचन करते हुए कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया, जिसमें न तो यह स्पष्ट किया गया कि पूर्व में विवादित आराजी पर कौनसा पक्षकार काबिज था, जिससे रिसीवर द्वारा कब्जा लिया गया। ना ही यह स्पष्ट किया गया कि क्या प्रार्थी ज्ञाना मूल दावे एवं रिसीवरी के प्रार्थनापत्र में पक्षकार था। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों की विवेचना किये बिना प्रार्थी ज्ञाना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर भूमि बागुजास्त कर कब्जा देने के आदेश पारित किये गये है, जिसे विधिसम्मत् होना नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि मूल वाद के निर्णीत होने के पश्चात् रिसीवर का प्रार्थनापत्र भी प्रभाव शून्य हो जाता है परन्तु बिना कब्जे की स्थिति के बारे में उल्लेखित किये कि कुर्क करते समय भूमि किसके कब्जे में थी, किसी भी व्यक्ति को कुर्कशुदा भूमि का कब्जा देने का आदेश पारित करना विधिसम्मत् नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/1047/2006/दौसा ज्ञाना बनाम किशनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	